



## Parenting Payment

Parenting Payment माता-पिता अथवा अभिभावकों के लिए बच्चों की परवरिश की लागत में मदद देने के लिए आय समर्थन है।

### Parenting Payment के लिए पात्रता

Parenting Payment का भुगतान बच्चे/बच्ची के प्रमुख देखभालकर्ता को किया जाता है। केवल एक ही माता या पिता या अभिभावक को भुगतान प्राप्त हो सकता है। आप एक माता, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी, या पालक-देखभालकर्ता के रूप में Parenting Payment के लिए पात्र हो सकते/सकती हैं, यदि:

- आप एकल हैं और आप आठ वर्ष से कम आयु के कम से कम एक बच्चे की देखभाल करते/करती हैं, या
- आपका/आपकी एक सहजीवी है और आप छह वर्ष से कम आयु के कम से कम एक बच्चे की देखभाल करते/करती हैं, और
- आप और आपके सहजीवी (यदि कोई हो, तो) की आय और संपत्ति कुछ निश्चित सीमाओं से कम है, और
- आप निवास की आवश्यकताओं को पूरा करते/करती हैं, और
- यदि आवश्यक हो तो आप भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं।

### Parenting Payment के लिए भुगतान दरें

आपको प्राप्त होने वाली Parenting Payment की धनराशि आपके परिवार की परिस्थिति पर निर्भर करती है। दरों को हर साल 20 मार्च और 20 सितंबर को अद्यतन (अपडेट) किया जाता है। नवीनतम दरों के लिए [humanservices.gov.au/parentingpayment](https://humanservices.gov.au/parentingpayment) देखें।

### Parenting Payment के लिए आय और संपत्ति परीक्षण

आपको प्राप्त होने वाली Parenting Payment की धनराशि आपकी और आपके सहजीवी (यदि हो तो), दोनों की आय और संपत्ति पर निर्भर करती है।

संपत्ति आपके द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से अधिकृत किसी परिसंपत्ति या साजो-सामान को कहते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया से बाहर की संपत्ति और आपके कर्ज शामिल हैं।

आय और संपत्ति परीक्षणों को प्रत्येक वर्ष 20 मार्च, 1 जुलाई और 20 सितंबर को अद्यतन (अपडेट) किया जाता है। नवीनतम दरों के लिए [humanservices.gov.au/parentingpayment](https://humanservices.gov.au/parentingpayment) देखें।

## और अधिक जानकारी

Parenting Payment के बारे में और अधिक जानकारी हेतु:

- [humanservices.gov.au/parentingpayment](https://humanservices.gov.au/parentingpayment) देखें
- [Hindi/हिन्दी] में किसी से बात करने के लिए **131 202** पर कॉल करें, या
- एक service centre में जाएं।



# Parenting Payment

Parenting Payment is income support for parents or guardians to help with the cost of raising children.

## Eligibility for Parenting Payment

Parenting Payment is paid to the principal carer of a child. Only one parent or guardian can receive the payment. You may qualify for Parenting Payment as a parent, grandparent, or foster carer, if:

- you are single and care for at least one child aged less than eight, or
- you have a partner and care for at least one child aged less than six, and
- the income and assets of both you and your partner (if you have one) are below certain amounts, and
- you meet residence requirements, and
- you are able to meet participation requirements if needed.

## Payment rates for Parenting Payment

The amount of Parenting Payment you get depends on your family situation. The rates are updated on 20 March and 20 September each year. For the latest rates visit [humanservices.gov.au/parentingpayment](https://humanservices.gov.au/parentingpayment)

## Income and assets tests for Parenting Payment

The amount of Parenting Payment you get depends on the income and assets of both you and your partner (if you have one).

An asset is any property or possession you own either partly or wholly. It includes assets held outside Australia and debts owing to you.

The income and assets tests are updated on 20 March, 1 July and 20 September each year. For the latest rates visit [humanservices.gov.au/parentingpayment](https://humanservices.gov.au/parentingpayment)

## More information

For more information about Parenting Payment:

- visit [humanservices.gov.au/parentingpayment](https://humanservices.gov.au/parentingpayment)
- call **131 202** to speak to someone in your language, or
- visit a service centre.